न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

B.P. No.-321/2026

अच्छेलाल कुमार उर्फ अक्षयलाल कुमार बनाम् बिहार सरकार

[जी.बी.नगर थाना कांड सं0 339/2024]

आदेश

01.04.2026 आवेदक/अभियुक्त **अच्छेलाल कुमार उर्फ अक्षयलाल कुमार** जो इस मामले में दिनांक 29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 321/2026, जी.बी.नगर थाना कांड सं0 339/2024, अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री रामजी सिंह एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 28.06.2024 को शाम 05 बजे जब सूचिका अपने घर का निर्माण कार्य करा रही थी तो पानी बह कर सड़क पर चला गया। तभी सूचिका के पट्टीदार धुरेन्द्र साह आए और गाली देते हुए घर से बाहर निकलने के लिए चुनौती देने लगे। जब सूचिका का पति हल्ला–गुल्ला सुनकर बाहर आए तो अच्छेलाल कुमार अपने हाथ में कुदाल लेकर आया और सूचिका के पति पर जान मारने की नियत से वार कर दिया। तब तक चंदन कुमार, अन्नु उर्फ विठल, गीता देवी, रेणु देवी एवं रामचंद्र सिंह अपने–अपने हाथ में टांगी, कुदाल, लाठी, दाब लेकर दौड़ते हुए आए और सूचिका के पति सुरेन्द्र साह को कुदाल और लाठी से अंधाधुन मारने लगे जिससे वह वहीं पर बेहोश हो गए। जब सूचिका के घर में काम करने आए मजदूर श्रवण साह छुड़ाने लगे तो अच्छेलाल कुमार अपने हाथ में लिए दाब से जान मारने की नियत से वार कर दिए जिससे उनके मुंह पर लगा और दाड़ी कट गई। जिससे काफी खून बहने लगा। उसके बाद सभी मिलकर उसे मारने लगे। जब श्रवण साह और सूचिका के पति बेहोश हो गए तो उपरोक्त लोगों ने शौचालय की टंकी में फेंक दिया ताकि उसी में दोनों लोगों की मृत्यु हो जाए। इन लोगों को देख सूचिका का पुत्र विशुनु कुमार निकालने गया तो उपरोक्त सभी लोग मिलकर लाठी, रड़ से मारने लगे तब तक धुरेन्द्र साह ने सूचिका को जान मारने के लिए अपने हाथ में लिए कुदाल से वार कर दिया जिससे सूचिका के पीठ पर लगा और जख्मी हो गई। अच्छेलाल कुमार की कुदाल को गांव के लोगों ने छीनकर रखा है। उपरोक्त सभी लोगों ने जान मारने की धमकी देते हुए चले गए तो उसी समय सदर अस्पताल सिवान में सूचिका एवं अन्य लोगों का ईलाज कराया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा और मनगढंत है। इस वर्तमान जमानत आवेदन के अलावा पूर्व में आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 532/2025 दाखिल किया गया था जिसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सिवान के द्वारा दिनांक 15.06.2025 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आवेदकगण द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 53614/2025 दाखिल किया गया था। जिसमें इस आवेदक का नाम जमानत आवेदन से वापस ले लिया गया। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है और आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और आवेदक दिनांक 29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले के अन्य सह अभियुक्तगण को दिनांक 19.02.2026 को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक/अभियुक्त मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

B.P. No.-321/2026

अच्छेलाल कुमार उर्फ अक्षयलाल कुमार बनाम् बिहार सरकार

[जी.बी.नगर थाना कांड सं0 339/2024]

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी जी.बी.नगर थाना कांड सं0 339/2024, अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 307, 504, 506/34 भा0द0वि0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के साथ जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 47 के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। प्रस्तुत मामले के अन्य सह अभियुक्तगण को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक का मामला भी जमानत प्राप्त अभियुक्तगण के समान है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **अच्छेलाल कुमार उर्फ अक्षयलाल कुमार** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं या विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदक/अभियुक्त के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय

सिवान

दिनांक 01.04.2026